18-3-21 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष बहस हेतु अवसर रखा। पक्षकारों को सूचना करने का निर्देश है। पत्रावली दिनांक 25-3-21 को पेश हो।

25-3-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष बहस में प्रकरण के अभिलेख अनुसार, नाम स्वीकार कर डिक्री दिया जाता है। साथ आदेश दिया जाता है कि मौजा कादी बेड़ा में खसरा 2069 से 2072 के फाटा नं. 86/1 के फा. नं. 416/1 रकबा 1-11 बीघा में से दिये गये नेमूदगी के हटाकर फाटा 369/1 रकबा 0-8 बिस्वा के पूर्व-उत्तर दिशा की ओर उक्त पर पत्रावली का मकान निर्मित होना पाया जाता है के स्थान पर नेमूदगी 1-11 बीघा उक्त खसरा फा. नं. 416/1 के फाटे 369/1 में परिवर्तित किया जावे 416/1 के स्थान पर 369/1 अंकित किया जावे। इस प्रकार देवनू रेकार्ड में आवश्यक संशोधन का आदेश दिया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाता। प्रकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार निस्तारित किया जाता है।

जगदीश

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा